भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 3562

उत्तर देने की तारीखः 17.12.2024

अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति

3562. श्री मुरारी लाल मीनाः

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को "पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति" के अंतर्गत राजस्थान को जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केन्द्रीय धनराशि जारी नहीं की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसे कब तक जारी किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं,

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के अंतर्गत पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत दौसा जिले के लिए जारी की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या छात्रवृत्ति राशि के संवितरण में विलंब के कारण अन्य पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): विगत तीन वर्षों के दौरान पीएम यशस्वी योजना के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी के छात्रों के लिए "पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति" के तहत राजस्थान को जारी निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	जारी की गई राशि (रु. लाख में)
2021-22	10226.00
2022-23	2757.95
2023-24	0.00*

*राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग): ओबीसी, ईबीसी और डीएनटी छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 49.95 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधियां जारी करने को मंजूरी दे दी गई है।

(घ): ओबीसी श्रेणी के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत केंद्रीय सहायता सीधे राज्य को जारी की जाती है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा जिला-वार डाटा मैंटेन नहीं किया जाता है।

(ङ): राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूर्ण प्रस्ताव, पूर्व में जारी की गई निधियों का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा योजना के दिशा-निर्देशों में निर्धारित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो जाने के पश्चात सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करता है।

******